

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ 14(करौली रोड्स)2018/एफसीए/प्रमुवसं/९1१३

दिनांक 24/11/23

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय:—Diversion of 0.5265 ha. of forest land for Construction of Road from Kota to Pator, District-Karauli (Rajasthan) in favor of Public Work Department, Karauli, Rajasthan.
(Proposal no. FP/RJ/ROAD/35272/2018)

संदर्भ:—आपका पत्रांक 5844 दिनांक 23.10.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित पालना का परीक्षण करने पर पाया गया कि:—

1. प्रस्ताव में सम्मिलित ग्राम कंवरपुरा एवं पाटोर की वन भूमि वनखण्ड कोटा A में सम्मिलित होना अवगत कराया गया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ग्राम कंवरपुरपुरा एवं पाटोर किन किन ग्रामों से टूटकर बने हैं।

2. डी0जी0पी0एस0 मेप में प्रस्तावित वन भूमि कांकरिया वनखण्ड में होना दर्शायी गयी है। जबकि उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वनखण्ड कोटा ए अंकित किया गया है।

अतः यह स्पष्ट करे कि प्रस्तावित वन भूमि किस वन खण्ड की है एवं उसमें पडने वाले ग्राम सम्मिलित है अथवा नहीं। प्रस्ताव में अपेक्षित संशोधन के साथ भिजवाया सुनिश्चित करें।

उक्त ई0डी0एस0 सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर।

क्रमांक: एफ 14(करौली रोड्स)2018/एफसीए/प्रमुवसं/8194-95

दिनांक 24/11/23

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. उप वन संरक्षक, करौली।
2. अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड—करौली।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर